<u>प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 62/2024)</u>

<u>तत्काल प्रकाशन हेतु</u>

<u>भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण</u>

भादूविप्रा द्वारा 'एक्सेस सेवा वीएनओ की एक से अधिक एनएसओ से कनेक्टिविटी' पर अपनी अनुशंसाएँ जारी की गई।

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज **एक्सेस सेवा वीएनओ की एक से अधिक एनएसओ से कनेक्टिविटी** पर अपनी अनुशंसाएँ जारी की।

दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने अपने पत्र दिनांक 07.07.2023 के माध्यम से - 'एक से अधिक एनएसओ से वीएनओ की कनेक्टिविटी' विषय पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 11(1) (ए) के तहत भादूविप्रा से अनुशंसाएँ मांगीं थी।

2. इस संबंध में, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 23.02.2024 को हितधारकों की टिप्पणियों और प्रति टिप्पणियों के लिए 'एक्सेस सेवा वीएनओं की एक से अधिक एनएसओ से कनेक्टिविटी' पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। इसके तहत 9 (नौ) हितधारकों से टिप्पणियाँ और 4 (चार) हितधारकों से प्रति टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं। इस मुद्धे पर 08.05.2024 को एक ओपन हाउस चर्चा की गई थी।

3. परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों और अपने स्वयं के विश्लेषण के आधार पर, भादूविप्रा ने "एक से अधिक एनएसओ के लिए एक्सेस सर्विस वीएनओ की कनेक्टिविटी" पर अपनी अनुशंसाएँ को अंतिम रूप दे दिया है।

4. वर्ष 2016 में, दूरसंचार विभाग ने भारत में वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (वीएनओ) की व्यवस्था शुरू की थी। वीएनओ को नेटवर्क सेवा ऑपरेटर (एनएसओ) का विस्तार माना जाता है। वीएनओ आपसी समझौते के अनुसार एनएसओ से दूरसंचार नेटवर्क संसाधन प्राप्त करने के बाद दूरसंचार सेवाएँ प्रदान कर सकते हैं।

5. देश में मौजूदा लाइसेंसिंग व्यवस्था के अनुसार, वीएनओ को, एक्सेस सर्विस और ऐसी सभी सेवाओं जिनके लिए ग्राहक की नंबरिंग और विशिष्ट पहचान की आवश्यकता होती है के अतिरिक्त, अन्य सभी सेवाओं के लिए एक से अधिक एनएसओ के साथ समझौते करने की अनुमति है। इन अनुशंसाएँ के माध्यम से, प्राधिकरण ने सिफारिश की है कि किसी सर्विस लाइसेंस सेवा क्षेत्र (एलएसए) में वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर (वीएनओ) को वायरलाइन एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए, कनेक्टिविटी लेने के लिए नेटवर्क सेवा ऑपरेटरों (एनएसओ) की संख्या पर कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।

6. इन अनुशंसाएँ के माध्यम से, प्राधिकरण ने यह भी सिफारिश की है कि एक एक्सेस सर्विस वीएनओ, जो एक एलएसए में वायरलेस और वायरलाइन दोनों तरह की एक्सेस सेवाएं प्रदान करने का इरादा रखता है, को वायरलेस एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए एक एनएसओ से कनेक्टिविटी और वायरलाइन एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए अन्य एनएसओ से कनेक्टिविटी लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह लचीलापन मौजूदा व्यवस्था के अतिरिक्त दिया जाना चाहिए जिसके तहत एक एक्सेस सर्विस वीएनओ, जो एक ही एलएसए में वायरलाइन और वायरलेस दोनों तरह की एक्सेस सेवाएं प्रदान करने की का इरादा रखता हो, को एलएसए में एक एनएसओ से वायरलाइन और वायरलेस दोनों तरह की कनेक्टिविटी लेने की अनुमति है।

7. प्राधिकरण का मानना है कि इन सिफारिशों के क्रियान्वयन से देश में वायरलाइन एक्सेस सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। इससे एक्सेस सर्विस वीएनओ को वायरलेस एक्सेस सेवा और वायरलाइन एक्सेस सेवा के लिए विभिन्न एनएसओ से कनेक्टिविटी प्राप्त करने में लचीलापन भी मिलेगा। इससे एक्सेस सर्विस वीएनओ देश भर में दूरसंचार उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने में सक्षम होंगे।

8. किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से दूरभाष संख्या +91-11-20907748 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/-

(अतुल कुमार चौधरी)

सचिव, भादूविप्रा